# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## (पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

**अपील संख्या 240/2016** **दायरा दिनांक : 14.06.2016**

**उनवान**

नारायण सिंह पुत्र श्री नेमीचन्द, जाति खारवाल, निवासी गणेशपुरा, तहसील छबडा, जिला बारां

.... अपीलांट

**बनाम**

1– रामचरण पुत्र श्री हटीलाल, जाति धाकड, निवासी ग्राम भैरूपुरा, तहसील छबडा, जिला बारां

2– हेमराज पुत्र श्री रामचरण, जाति धाकड, निवासी ग्राम भैरूपुरा, तहसील छबडा, जिला बारां

3– गिर्राज पुत्र श्री रामचरण, जाति धाकड, निवासी ग्राम भैरूपुरा, तहसील छबडा, जिला बारां

4– श्रीकिशन पुत्र श्री रतनलाल, जाति धाकड, निवासी ग्राम भैरूपुरा, तहसील छबडा, जिला बारां

5– गायत्री देवी पत्नी श्री अशोक कुमार मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम भैरूपुरा, तहसील छबडा, जिला बारां

6– गंगाराज पुत्र श्री घासी लाल, जाति धाकड, निवासी ग्राम भैरूपुरा, तहसील छबडा, जिला बारां

7– गोपाल पुत्र श्री लटूरलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम भैरूपुरा, तहसील छबडा, जिला बारां

8– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री बी एल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री बाल मुकुन्द गूर्जर अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

**निर्णय** **दिनांक : 12.12.2017**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 200/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम गूगोर तहसील छबडा में आराजी खसरा नम्बर 175/2 रकबा 5 बीघा वादी के खाते एवं कब्जे की है । प्रतिवादीगण वादी के अकेला रहने का फायदा उठाकर वादी की आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । अतः वादी का दावा स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28.03.2016 को दावा वादी खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के बाबत पेश किये गये दावे में 6 तनकीयात बनायी गई है परन्तु एक कभी तनकी का विश्लेषण न करके मात्र बहस लिखकर दावा खारिज किया है । प्रतिवादीगण ने जो नकल पेश की गई है वह खसरा नम्बर

175/1 की है और खसरा नम्बर 175/2 का वादी खातेदार है फिर भी दावा खारिज किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा था जिसमें नकल जमाबंदी एक्जीविट पी–1 है और पैमाईश रिपोर्ट एक्जीविट पी–2 है । वादी का दावा खसरा नम्बर 175/2 के बाबत था, गलत रूप से प्रतिवादी का कब्जा मानकर दावा खारिज किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंट का कब्जा है और सिविल न्यायालय से स्थगन आदेश मिला हुआ है । अपीलांट का मौके पर कब्जा नहीं है । उनका धारा 188 राजस्थान काश्तकारी का दावा मेंटेनेबल नहीं था । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबंदी सम्वत 2067–70 खाता संख्या 120 एक्जीविट पी–1 सलंग्न है जिसमें नारायण सिंह के खाते में खसरा नम्बर 175/2 की 5 बीघा आराजी दर्ज है । मौका रिपोर्ट एक्जीविट पी 2 है जिसके अनुसार 175/1 एवं 175/2 की

पैमाईश की गई है । इसके अलावा अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बारां के निर्णय की प्रमाणित प्रति एक्जीविट पी–3 के रूप में पत्रावली में सलंग्न है जिसके अनुसार रेस्पोडेंट के पक्ष में किये गये आवंटन को बहाल रखा गया है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया है । नकल जमाबंदी सम्वत 2071–74 खाता संख्या 42 एक्जीविट डी 1 है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 175/1 रेस्पोडेंट के खाते में दर्ज है । एक्जीविट डी 2 खसरा गिरदावरी की प्रति है । बयान नारायण सिंह पी डब्ल्यू 1 खूबचन्द पी डब्ल्यू 2, मदन लाल पी डब्ल्यू 3 कराये गये हैं और प्रतिवादी की ओर से गोपाल डी डब्ल्यू 1, श्रीकिशन डी डब्ल्यू 2, हेमराज डी डब्ल्यू 3, ज्ञानेश्वर डी डब्ल्यू 4, रतन लाल डी डब्ल्यू 5, मूल चन्द डी डब्लयू 6 कराये गये हैं ।

अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात तो कायम की है परन्तु तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है जबकि तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है । पत्रावली पर दौराने बहस रेस्पोडेंट की ओर से कुछ दस्तावेजात फर्द के साथ पेश किया गया है । आर्डर 41 नियम 27 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है । ये दस्तावेज नजरी नक्शा की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबंदी सक्वत 2071–74 खाता संख्या 42 की प्रमाणित प्रति, खसरा गिरदावरी की फोटो प्रति और सिविल न्यायाधीश छबडा के न्यायालय की आदेशिका की फोटो प्रति व कुछ फोटोग्राफ है । खाते की नकल तो पत्रावली में पूर्व में ही पेश की गई, शेष दस्तावेज में से कुछ फोटो प्रतियां व कुछ की प्रमाणित प्रतियां हैं । प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया गया है । दस्तावेजात में से नक्शे की प्रमाणित प्रति एवं राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया । शेष दस्तावेजात प्रमाणित प्रतियां नहीं होने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है जो कि सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सी पी सी की पालना में प्रत्येक तनकी की विवचेन करते हुए नये सिरे से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.02.018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा